राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1440/2024

अशोक कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य सचिव द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सुभाष चन्द बलाई, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुनीत सिंघवी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रयोगशाला जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, अलवर से प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जिला सवाईमाधोपुर सुभाष के स्थान पर 250 कि.मी. दूर किया गया तथा सुभाष चन्द बलाई का स्थानान्तरण प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सवाईमाधोपुर से प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जिला अलवर में अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के उद्देश्य से किया गया। अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है तथा अपीलार्थी दिनांक 30.06.2025 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो रहा है। अतः स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2797/2023 रतन लाल कुम्हार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2023 में Dr. (Smt.) Pushpa Mehta Vs. Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal & Ors. [(2000) 2 WLC 725], and Magraj Sharma Vs. State of Rajasthan & Ors; D.B. Spl. Appl. Writ No. 1037/2017 decided on 14.12.2017 के द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जिला अलवर में सेवानिवृत्ति तक कार्य करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला अलवर में दिनांक 01.11.1995 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रयोगशाला जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, अलवर से प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जिला सवाईमाधोपुर में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर 28 वर्ष से कार्यरत है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है तथा अपीलार्थी प्रत्येक माह 97055/– रूपये प्राप्त कर रहा है। तद्नुसार अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का

कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)